दां.प्र.क्र. 728/22 शा० वि० हरप्रसाद

Witness No.....02.....for.....अभियोजन साक्षी.....Deposition taken the.....11–03–2024.....day of.....Witness's apparentage.....42.....

States of affirmation.....शपथपूर्वक.....my name is.....रूपलाल.....

son of.....मालिकराम.....occupation.....किसानी.....

address.....साकिन हनुमंता, थाना बाराद्वार, जिला सक्ती (छ०ग०).....

समय 12.40 बजे से।

01– मै आरोपी को नही पहचानता हूँ ।

02– पुलिस वाले मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नही किये थे एवं किसी व्यक्ति से कोई सामान जप्त नही किये थे । साक्षी को धारा 160 का नोटिस **प्र०पी०–01,** बरामदगी पंचनामा **प्र०पी० 02,** धारा 91 का नोटिस **प्र०पी० 03,** जप्ती पत्रक **प्र०पी०–04,** गिरफ्तारी पत्रक **प्र०पी०–05,** नजरी नक्शा **प्र०पी०–06** दिखाए जाने पर उसके ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

टीपः– अभियोजन द्वारा उपस्थित साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गयी, अभिलेख के अवलोकन बाद अनुमति दी गई।

03– यह कहना गलत है कि मै आरोपी को जानता हूँ और वह शराब बेचने का कार्य करता है । यह कहना गलत है कि दिनांक 18–08–2022 को समय शाम 19.05 बजे **ग्राम खम्हिया स्थित आरोपी के घर के परछी से** मेरे समक्ष आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग के 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकेन मे लगभग 7.5 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब को जप्त कर कब्जा पुलिस लेकर सील बंद किया गया था। यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किये थे । यह कहना गलत है कि पुलिस वालो ने मेरा बयान लिया था। यह कहना गलत है कि मै आरोपी को बचाने के लिये आज न्यायालय में सही बात को नही बता रहा हूँ। यह कहना गलत है कि आरोपी शराब बेचने का काम करता है। यह कहना गलत है कि मै जब दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था तब वहा पर आरोपी उपस्थित था। साक्षी को पुलिस बयान **प्र.पी.–08** के अ से अ भाग का कथन

पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी द्वारा उक्त कथन दिये जाने का समर्थन नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मै दस्तावेजो पर पढ़लिख कर हस्ताक्षर किया था। यह कहना गलत है कि जब कार्यवाही हुयी थी तब आरोपी मौके पर उपस्थित था। यह कहना गलत है कि आरोपी मेरे पहचान का है, जिसके दबाव में आकर मै आज न्यायालय में झुठा कथन कर रहा हूॅ। यह कहना सही है कि दस्तावेजो को पढकर हस्ताक्षर करना चाहिए । यह कहना गलत है कि मै दस्तावेजो को पढकर हस्ताक्षर करता हूॅ । यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष संपूर्ण कार्यवाही हुयी थी, परन्तु आरोपी को बचाने के लिये कार्यवाही से इंकार कर रहा हूॅ ।

//प्रतिपरीक्षण वास्ते अभियुक्त सहित श्री रोहित राठौर अधिवक्ता उप.//

04– यह कहना सही है कि पुलिस के कहने पर मैने कोरे दस्तावेजो पर हस्ताक्षर किया था। यह कहना सही है कि पुलिस वालो ने मुझे नोटिस देकर नही बुलाया था। यह कहना सही है कि मैने जितने पत्रक पर हस्ताक्षर किया था उसे पढ़कर नही देखा था और न ही मुझे पुलिस वालो ने उक्त दस्तावेजो को पढ़कर सुनाये थे। यह कहना सही है कि मेरे समक्ष पुलिस वालो ने आरोपी से कोई कार्यवाही नही किया है। यह कहना सही है कि जिस समय पुलिस वाले मुझे दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करवाये थे उस समय आरोपी वहा पर उपस्थित नही था । यह कहना सही है कि पुलिस वाले मेरा बयान नही लिये थे ।

(प्रति परीक्षण समाप्ति समय 12:45 बजे)

वाचित सहित स्वीकृत।
सही/–
श्रीमती गंगा पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित
सही/–
श्रीमती गंगा पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)